भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1437

19 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना

1437. श्री विक्रमजीत सिंह साहनी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति के तहत इस्पात प्रसंस्करण केंद्रों को स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों की स्थापना के लिए चिन्हित स्थलों की राज्य-वार और जिले-वार सूची क्या है और इन स्थलों को चिन्हित करने के मानदंड और कारण क्या हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) से (ग): सरकार ने नवंबर, 2019 में इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित किया है। यह नीति विभिन्न स्रोतों से उत्पादित होने वाले फेरस स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण तथा पुनर्चक्रण के लिए भारत में मैटल स्क्रैपिंग केन्द्रों की स्थापना को सुविधा प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों / निजी क्षेत्र द्वारा स्क्रैपिंग केन्द्रों को स्थापित किए जाने का निर्णय वाणिज्यिक परिस्थितियों के आधार पर लिया जाता है।

****